

संख्या- 53 /2026/आर0एफ0-737/नौ-9-2026/001-ई-2029602

प्रेषक,

राजेश्वरी प्रसाद,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिसासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,
बिलारी, जनपद-मुरादाबाद/बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर/लखीमपुर-खीरी, जनपद-
लखीमपुर-खीरी/कुशीनगर, जनपद-कुशीनगर/देवरिया, जनपद-देवरिया/पूरनपुर, जनपद-
पीलीभीत/मुंगराबादशाहपुर, जनपद-जौनपुर/मौदहा, जनपद-हमरीपुर।

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 08 मई, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2026-27 में 'पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या-37 से व्याज रहित ऋण के रूप में नगर पालिका परिषदों के कार्यों/परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सन्दर्भित नगरीय निकायों द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान सं0-37 के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से व्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। उपर्युक्त निकायों द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव, कुल लागत धनराशि ₹0 832.80 लाख (रूपये आठ करोड़ बत्तीस लाख अस्सी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये कार्ययोजना में स्वीकृत धनराशि ₹0 800.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत की धनराशि ₹0 400.00 लाख (रूपये चार करोड़ मात्र) अनुदान संख्या-37, पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत व्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नगर पालिका परिषद

अनुदान संख्या-37

(धनराशि लाख ₹0 में)

क्र0 सं0	निकाय/जनपद का नाम	मद/कार्य	निकायों से प्राप्त डी0पी0 आर0 के अनुसार कार्यों की प्राक्कलित लागत/प्रशासकीय व वित्तीय स्वीकृति	स्तम्भ-(4) के सापेक्ष कार्ययोजना में अनुमोदित धनराशि	स्तम्भ-(5) में उल्लिखित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जा रही 50 प्रतिशत धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

1	नगर पालिका परिषद, बिलारी जनपद मुरादाबाद	1. वार्ड संख्या-12 एवं 25 में शाहबाद रोड परशुराम द्वार से गौरव शर्मा के मकान होते हुए लतीफी हैडलूम तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	30.19		
		2. नगर बिलारी में विभिन्न स्थलों यथा गांधी पार्क, अम्बेडकर पार्क, चौधरी चरण सिंह पार्क, परशुराम पार्क, शहीद-ए-आजम पार्क, वीर अब्दूल हमीद पार्क, महाराणा प्रताप चौक, वाल्मीकि शमशान, लोथो वाला शमशान एवं सुमाली कब्रिस्तान में 12.5 मीटर ऊँचाई का हाईमास्ट पोल की स्थापना का कार्य।	38.96		
		3. नगर बिलारी में विभिन्न स्थलों यथा स्टेशन रोड शिव मंदिर, शाहबाद रोड पौड़ाखेड़ा मंदिर, चंदौसी रोड शमशान घाट, कुम्हारों वाला शमशान घाट, वैदों वाला कब्रिस्तान, छंगाशाह कब्रिस्तान मौ0 अब्दुल्ला कब्रिस्तान एवं मौ0 अब्दुल्ला शमशान घाट में 12.5 मीटर ऊँचाई का हाईमास्ट पोल की स्थापना का कार्य।	31.17		
		योग	100.33	100.00	50.00
2	नगर पालिका परिषद बलरामपुर जनपद बलरामपुर	1. आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर क्षेत्रान्तर्गत पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु 7.5 मीटर कास्ट एल्युमिनीयम बेस पोल ट्राई कलर लाइट पोल और ब्रेकेट सहित आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।	79.33		
		2. आदर्श नगर पालिका परिषद बलरामपुर क्षेत्रान्तर्गत पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु 3.5 मीटर कास्ट एल्युमिनीयम बेस पोल ट्राई कलर लाइट पोल और ब्रेकेट सहित आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य।	21.00		
		योग	100.34	100.00	50.00
3	नगर पालिका परिषद, लखीमपुर-खीरी, जनपद-लखीमपुर-खीरी	1. मोहल्ला आवास विकास में सिटाडेल से अजय बाजपेई के मकान तक नाली बाक्सिंग व इण्टरलाकिंग उच्चीकरण कार्य।	2.40		
		2. मोहल्ला हाथीपुर उत्तरी में मेला मैदान रोड से दिलीप रस्तोगी के मकान होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक रोड व नाली का निर्माण कार्य।	4.13		
		3. मोहल्ला सरबती देवी कालोनी में रजत गुप्ता के मकान से पानी प्लान्ट होते हुए काशी गिरधारी लाल के मकान (बाउण्ड्रीवाल) तक नाली, मिट्टी एवं सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	16.00		
		4. मोहल्ला ईदगाह में इकबाल अहमद के मकान से बगिया (मन्दिर) तक नाली एवं सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	3.37		
		5. मो0 पटेल नगर में प्रशान्त जायसवाल के मकान से सतीश कटियार के मकान तक नाली एवं सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य।	8.96		
		6. मोहल्ला शिवपुरी में बेनीराम गौतम के मकान से छोटेलाल गौतम के मकान तक नाली एवं सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	7.70		
		7. एल0आर0पी0 चौराहा से गुरूनानक इण्टर कालेज तक एल0ई0डी0 लाइट कम्प्लीट फिटिंग अधिष्ठापन कार्य।	67.75		
		योग	110.31	100.00	50.00

4	नगर पालिका परिषद, कुशीनगर, जनपद-कुशीनगर	1. वार्ड नं0 04 अम्बेडकर नगर में पाण्डेय कालोनी में सीसी मार्ग से पुलिया तक इण्टरलाकिंग का निर्माण कार्य।	13.06		
		2. वार्ड नं0 13 में रामाराज पाण्डेय के घर से बृजकिशोर मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग मार्ग व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	7.83		
		3. वार्ड नं0 15 वीर सावरकर नगर में गोगा के घर से यादव के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य।	9.25		
		4. वार्ड नं0 24 सुवाष नगर में लूना हास्पिटल से विजय चौरसिया के घर होते हुए छेदी मद्धेशिया के घर मनोज मद्धेशिया के घर तक इण्टरलाकिंग व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	32.17		
		5. वार्ड नं0 26 शहीद अमिय त्रिपाठी नगर में बबलू के घर से अनिल सिंह के घर होते हुए मेन रोड तक इण्टरलाकिंग एवं आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	18.95		
		6. वार्ड नं0 26 शहीद अमिय त्रिपाठी नगर में राजू शाही के घर से पडरौना रोड नाला तक सी0सी0 मार्ग व आर0सी0सी0 नाली का निर्माण कार्य।	24.42		
		योग	105.68	100.00	50.00
5	नगर पालिका परिषद, देवरिया, जनपद देवरिया।	वार्ड नं-17 पगरा उर्फ परसिया में मेन भीखमपुर रोड से टिकू वर्मा व पगरा संपर्क मार्ग तक तथा अमानत अली के घर से अम्बिका यादव के घर तक सी. रोड व नाली निर्माण एवं स्ट्रीट लाइट फिटिंग सहित आपूर्ति एवं स्थापना कार्य ।	100.00		
		योग	100.00	100.00	50.00
6	नगर पालिका परिषद, पूरनपुर, जनपद-पीलीभीत	नगर पालिका परिषद पूरनपुर में विभिन्न एवं प्रमुख स्थलों पर सेमी हाईमास्ट लाइट पोल अधिष्ठापन का कार्य ।	101.51		
		योग	101.51	100.00	50.00
7	नगर पालिका परिषद, मुंगरा बादशाहपुर, जनपद-जौनपुर	1. मोहल्ला गुड़हाई (सरोज बस्ती) में विजय कुमार सरोल के मकान से कामासिन नाला तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	21.83		
		2. मोहल्ला बहोरिकपुर में हनुमान जी मन्दिर के सागने से मनोज त्रिपाठी के बगीचे तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	26.47		
		3. मोहल्ला मुगरडीह में कैलाश पटेल के खेत से धर्मराज पटेल के मकान तक सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य।	11.40		
		4. नगर पालिका सीमान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर 09 मीटर आक्टागोलन पोल सहित 200 वाट स्ट्रीट लाइट आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य।	13.31		
		5. वार्ड सरोखनपुर में 07 मीटर आक्टागोलन पोल सहित 90 वाट स्ट्रीट लाइट आपूर्ति एवं अधिष्ठापन का कार्य।	26.97		
		योग	100.13	100.00	50.00
8	नगर पालिका परिषद, मौदहा, जनपद-हमीरपुर	1. वार्ड नं0 05 साजनतालाब में छेदीलाल के मकान से बाबू मास्टर के मकान तक सी0सी0 व नाली का निर्माण कार्य।	6.25		
		2. वार्ड नं0 06 इलाहीतालाब में जगदीश कुशवाहा के मकान से कल्लू बाबू (मेम्बर) के मकान तक सी0सी0 व नाली, मिट्टी भरई का कार्य।	16.86		
		3. वार्ड नं0 14 ब्लाक कक्ष में मुन्नी लाल श्रीवास के मकान से छुट्टन के मकान तक सी0सी0 व नाली, मिट्टी भरई का कार्य।	3.31		

	4. वार्ड नं0 19 सिचौली कम्हरिया रोड में ओम शान्ति भवन से समुन बानो के मकान तक सी0सी0 व नाली, मिट्टी भराई का कार्य।	27.98		
	5. वार्ड नं0 23 कजियाना में फहीम मेम्बर के सामने से शिव प्रसाद ठाकुर के मकान तक सी0सी0 व दोनों ओर नाली का निर्माण कार्य।	13.26		
	6. वार्ड नं0 25 बाजार में गुहाडी बाजार शहीद स्मारक के मैदान में सी0सी0 रिपेयरिंग का कार्य।	16.22		
	7. वार्ड नं0 14 ब्लाक कक्ष में कामता वर्मा के मकान के पास से मूलचन्द्र कुशवाहा के मकान तक सी0सी0, नाली व पुलिया का निर्माण कार्य।	4.97		
	8. 300 PC LED Luminaire For Road And Street Lighting Ratng-45 Watt (AAA)	14.70		
	9. 25 PC LED Luminaire For Road And Street Lighting Ratng-90 Watt (AAA)	2.25		
	10. 150 PC LED Luminaire For Road And Street Lighting Ratng-60 Watt (AAA)	8.70		
	योग	114.50	100.00	50.00
	कुल योग (नगर पालिका परिषद : अनुदान सं0-37)	832.80	800.00	400.00

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को व्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-बी-4-918/दस-2006-8/1965टी0सी0 दिनांक-21.09.2006 की व्यवस्थानुसार 03 वर्ष के मॉरीटोरियम के पश्चात दस समान वार्षिक किश्तों में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निकायों को प्राप्त होने वाली धनराशि से समायोजन द्वारा वापसी सुनिश्चित की जायेगी।
- (2) संबंधित निकाय द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0/आगणन में प्रस्तावित/प्राक्कलित लागत एवं योजनान्तर्गत स्वीकृत की जा रही कुल धनराशि के अन्तर की धनराशि निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से वहन की जायेगी।
- (3) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्यो हेतु व्यय की जायेगी।
- (4) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपॉजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायगा अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय का होगा सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायगा।

- (6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं एवं मानकों को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससयम पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- (8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर डिस्पले बोर्ड पर योजना का नाम अर्थात् पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जाएगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।
- (9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- (10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए समपबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए। सामग्री/ उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाएगा। विद्युत कार्यों के लिये शासनादेश संख्या-1383/ 9-9-14-943/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या-227/2015/1689-नौ-8-2015-96/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (11) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाए।
- (12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (13) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- (14) स्वीकृत कार्यों के लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी।
- (15) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।

- (16) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
- (17) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (18) उक्त स्वीकृत धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष (31 मार्च, 2027 तक) में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
- (19) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/अभियंता उत्तरदायी होंगे।
- (20) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सम्स्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।
- (21) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस० सी०एस०टी०/टी०एस०सी० हेतु निर्धारित मानक व दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाये।
- (22) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग शासनादेश संख्या-1319/नौ-9-21-457/21, दिनांक 30.06.2021 तथा यथा-संशोधित शासनादेश संख्या-1125/नौ-9-2025/45/2021-ई-1749112, दिनांक-04.06.2025 एवं संख्या-1124/नौ-9-2025/45ज/2021-ई-1749112, दिनांक-04.06.2025 द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure SOP) में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।
- (23) प्रशा० विभाग द्वारा 'सेंटेज चार्जज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (24) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये, जिससे टाइम ओवर रन एवं कॉस्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 400.00 लाख (रुपये चार करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 6215021920500 पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-5-X-2026-27, दिनांक- 06 मई, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Digitally signed by
RAJESHWARI PRASAD
Date: 08-05-2026
12:21:43

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-53 /2026/आर0एफ0-737/नौ-9-2026/001-ई-2029602, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
7. कोषाधिकारी, जनपद-मुरादाबाद/बलरामपुर/लखीमपुर-खीरी/कुशीनगर/देवरिया/पीलीभीत/
जौनपुर/हमरीपुर।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
9. वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
10. पी0एम0यू0 यूनिट, नगर विकास विभाग।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश्वरी प्रसाद)
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-08/05/2026


प्रेषण संख्या:- 53
आवंटन आदेश संख्या:- 001-53-2026-RF-737-9-9-2026-001-E-2029602
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	मुरादाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
2	पीलीभीत-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
3	हमीरपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
4	जौनपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
5	देवरिया-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
6	लखीमपुर खीरी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
7	कुशीनगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
8	बलरामपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 12493000	5000000 12493000
	योग	वर्तमान प्रगामी	40000000 47493000	40000000 47493000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ चौहत्तर लाख तिरानवे हजार


(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव